बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं० :–3/अ०प्र०–1–76/2020 76 /पटना, दिनांक :– 13.11.23

श्री गजेन्द्र यादव, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज अन्तर्गत संवेदक नारायण कन्स्ट्रशन द्वारा निविदा आईडी0 संख्या–63867, 63868, 63870, 63875, 63876, 64614 एवं 64618 में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या क्रमशः–15/2018, 50/2018, 51/2018, 56/2018, 57/2018, 87/2018 एवं 91/2018 का State SBD की कंडिका–16.1.d में निहित प्रावधान के अनुरूप सत्यापन एकरारनामा संपादित होने से पूर्व नहीं करने तथा जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी का फर्जी पाये जाने से संबंधित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–31 –सह–पठित ज्ञापांक 1104 अनु0 दिनांक 11.06.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1867 अनु0 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य के रूप में उल्लेख किया गया कि श्री यादव कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज में दिनांक–19.07.2017 को योगदान कर दिनांक–11.08.2017 दिनांक–31.08.2017 तक रोकड़पाल के प्रभार में रहे हैं। आलोच्य कार्यो से संबंधित नोटशीट की छायाप्रति श्री यादव द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसमें BG सत्यापन का उल्लेख करते हुए एकरारनामा किये जाने हेतु टिप्पणी अंकित है। इस नोटशीट पर श्री यादव का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। Technical evaluation से संबंधित चेकलिस्ट पर भी श्री यादव का हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। आलोच्य पथों से संबंधित एकरारनामा पर भी श्री यादव का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज ने भी श्री यादव के स्पष्टीकरण पर सत्यापन संबंधी Remark अंकित करते हुए सत्यापित किया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री यादव को संबंधित BG मामले में संबद्धता प्रमाणित नहीं होने के कारण आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

अतएव संचालन पदाधिकारी के उपरोक्त मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री गजेन्द्र यादव, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

13/11/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–76/2020 2406 /पटना, दिनांक :– 13.11.23

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8 एवं श्री गजेन्द्र यादव, तत्कालीन लेखा लिपिक,

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–76/2020 2406 /पटना, दिनांक :– 13-11-23

प्रतिलिपि प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in